

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/ 5523

जयपुर, दिनांक: 01.5.2018

**परिपत्र :-**

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/301-427 जयपुर दिनांक 03.04.2018 का अतिक्रमण किया जाकर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन के अलग-अलग पदों पर जिलास्तरीय कार्यालय में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु चैनल निर्धारित किया जाता है, निर्धारित चैनल वर्ष 2018-19 ही प्रभावी होगा :-

क्र. सं.	पद नाम अधिकारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1.	उपनिदेशक /सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव
2.	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/ विशेष योग्यजन (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव
3.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन (कार्यालयाध्यक्ष)	जिला कलेक्टर	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता /विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव
4	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	(कार्यालयाध्यक्ष)/ जिला अधिकारी	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता/ विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव
5	अधीक्षक गृह /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन (कार्यालयाध्यक्ष)	उपनिदेशक/ सहायक निदेशक /जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन (कार्यालयाध्यक्ष)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/ अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/ सहायक निदेशक (यूनिट/प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /बाल अधिकारिता /विशेष योग्य जन	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन

(1/2)

6	कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/संस्थापन अधिकारी/आशुलिपिक/छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-1/छात्रावास अधीक्षक -II/कैंप टेकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	(कार्यालयाध्यक्ष)	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/योग्य जन	निदेशक सामाजिक अधिकारिता विशेष	आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन
7	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार/सूचना सहायक/नर्स सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	प्रभारी अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/योग्य जन	निदेशक सामाजिक अधिकारिता विशेष	आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक, कोष एवं लेखा/निदेशक, चिकित्सा विभाग

(जे.सी. महान्ति)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/5524-6024

जयपुर, दिनांक 01-5-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र) शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन .....
7. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन (यूनिट प्रभारी), जयपुर।
8. संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
9. संस्थापन प्रशाखा, (पी. 1 से पी-5)/पदोन्नति प्रशाखा/जांच प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सम्बंधित श्री/श्रीमती ..... उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्य जन .....
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर संधारित किये जाने हेतु
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

(2/2)